

File No. NRC/NCTE/NRCAPP-1592/189th Meeting/2011/13420

Dated: 14 DEC 2011


SUB.: SHOW CAUSE NOTICE BEFORE REJECTION OF APPLICATION -REG.

WHEREAS, Sardar Patel Smarak Shikshan Sansthan, Plot/Khasra No. – 326, 133M, Street/Road- Akbarpur Sikandarpur, Village/Town/City- Larpur, Post Office- Larpur, Tehsil/Taluka- Akbarpur, Town/City- Akbarpur, District- Ambedkar Nagar, State- Uttar Pradesh, Pin Code- 224186 had submitted the application to the Northern Regional Committee for grant of recognition for D.El.Ed. Course in terms of section 14/15 of NCTE Act, 1993 on 06.10.2010 in the name of proposed Institution i.e. Sardar Patel Smarak Mahavidyalaya Larpur, Plot No. – 324, 133M, Street Number- NA, Village – Larpur, Post Office- Larpur, Tehsil/Taluka- Akbarpur, Town/City- Akbarpur, District- Akbarpur Nagar, State- Uttar Pradesh, Pin Code- 224186.

AND WHEREAS, the deficiencies as observed in the application was communicated by NRC to the Institution vide letter No. NRC/NCTE/2010/NRCAPP-1592/DL/4878 dated 15.01.2011 for removal. The reply of deficiency letter submitted by the Institution was carefully considered by the NRC in its 189th Meeting as per the provision of NCTE Regulations, 2009, and it was decided by the Northern Regional Committee that the Show Cause Notice under Section 14/15 (3) (b) of NCTE Act, 1993 be issued to the Institution before passing the order for rejection of said application on the following grounds:

- The institution has not completed three academic sessions of the existing course (B.Ed.) at the time of applying for the proposed D.El.Ed. course. As such as per NCTE Regulations, 2009 under Section 8(3) application cannot be accepted.

NOW THEREFORE, in exercise powers vested to the Northern Regional Committee under Section 14/15(3) (b) of NCTE Act, 1993, an opportunity is hereby given to the said Institution for making written representation within 30 days before passing the order for rejection of said application on the grounds mentioned above.


(Dr. Ram Kishor)
Regional Director

To,

The Secretary / Principle
Sardar Patel Smarak Shikshan Sansthan,
Plot/Khasra No. – 326, 133M, Street/Road- Akbarpur Sikandarpur,
Village/Town/City- Larpur, Post Office- Larpur,
Tehsil/Taluka- Akbarpur, Town/City- Akbarpur,
District- Ambedkar Nagar, State- Uttar Pradesh, Pin Code- 224186

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./जी.एस.
दिनांक 25/8/2008

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- लो०अ०वि०/सम्बद्धन/७६३/२००४, दिनांक २८.६.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के सुसंगत प्रावधानों के अधीन सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. सचिव सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, फैजाबाद

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

एन०टी०टी०ई०द्वारा समय-समय पर जारी नीति विधायक आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगी।

- ॥6॥- उक्त बाह्यक्रम के बाबत कितनी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई तरीकार नहीं होगा बशर्ते कि ऐसा कितनी अधिनियम में ही न अपेक्षित हो।
- ॥7॥- राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता तम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- ॥8॥- मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की प्रती तक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अध्यापक भूमि कितनी विकास प्राधिकरण से क्रय किये जाने की स्थिति में लीजहोड की प्रमाणित प्रती तम्बद्धता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
- ॥9॥- उक्त बाह्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये भू-अभिलेखानुसार ग्राम लारपुर की गाटा सं०-133मि/क्षे०-0.599हे०, 142/क्षे०-0.016हे० 129क/0.057हे०, 124/0.316हे० ग्राम तिकन्दरपुर की गाटा सं०-1680/क्षे०-0.113हे० ग्राम तलाहपुर रजौर की गाटा सं०-4ग/क्षे०-4.048हे० कुल 6 किता/कुल क्षे०-5.149हे० पर ही किया जायेगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालन किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- ॥10॥- मा०तर्बोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश दिनांक 14-8-2003 के क्रम में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-591/2004-तोलह-1-5॥डब्ल्यू-48॥/2003, दिनांक: 20 फरवरी, 2004 के अनुसार गठित शुल्क निर्धारण समिति के तमक्ष संस्था अपनी प्रस्तावित पीत स्टूडेंट प्रस्तुत करेगी तथा अन्य आवश्यक सुसंगत अभिलेख भी प्रस्तुत किये जायेंगे। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कीत से अधिक शुल्क संस्था/महाविद्यालय द्वारा नहीं लिया जायेगा। यदि इस प्रकार निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क अथवा कितनी अन्य मद यथा डोनेशन के रूप में कोई भी संस्था लेती है तो यह माना जायेगा कि संस्था कैपिटेशन पीत ले रही है। ऐसी स्थिति में संस्था दण्डित की जायेगी और यह प्रवृत्त की जाने वाली अनापत्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- ॥11॥- स्वचित्त घोषित संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटे का निर्धारण मा०तर्बोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश दिनांक: 14-8-2003 के क्रम में

प्रवेश तरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा। संस्था को यदि कोई आपत्ति होगी तो वह प्रामाणिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-592/2004-तोलह-1-5॥डब्ल्यू-48॥/2003, दिनांक: 20 फरवरी, 2004 द्वारा गठित समिति के समक्ष अपना आवेदन करेगी। समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

॥12॥- मा0तर्षोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-350/1993 इस्तामिक एकेडमी आफ एजुकेशन एवं अन्व बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश दिनांक: 14-8-2003 के क्रम में मैनेजमेंट कोटा में प्रवेश मेरिट के आधार पर होंगे तथा यह प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी होगी। किती छात्र/छात्राओं का मैनेजमेंट कोटा में महाविद्यालय में प्रवेश के पूर्व विश्वविद्यालय का अनुमोदन आवश्यक होगा। तम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा यह तनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त वर्णित मा0तर्षोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार संस्था द्वारा या तो तम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी परीक्षा के आधार पर या एतोलिएसन आक कालेज के द्वारा ली गयी प्रवेश परीक्षा के आधार पर निर्धारित मेरिट के अनुसार मा0 मैनेजमेंट कोटे में प्रवेश दिया जायेगा। यदि एतोलिएसन आक कालेज द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है तो ऐसी परीक्षा की पारदर्शिता देखने तथा प्रस्तावित प्रश्नपत्र, पेपर लेटर, परीक्षा आदि की जानकारी प्रामाणिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-592/2004-तोलह-1-5॥डब्ल्यू-48॥/2003, दिनांक: 20 फरवरी, 2004 द्वारा गठित समिति से की जायेगी। यह समिति ऐसी प्रवेश परीक्षा के पर्यवेक्षण के लिए अधिकृत होगी जितने कि परीक्षा निष्पक्ष रूप से संचालित हो सके।

॥13॥- यदि यह पाया जाता है कि मैनेजमेंट कोटे में प्रवेश मा0तर्षोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-350/1993 इस्तामिक एकेडमी आफ एजुकेशन एवं अन्व बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश दिनांक: 14-8-2003 के द्वारा निर्धारित पारदर्शी तथा मेरिट के आधार पर नहीं की जाती है तो तम्बन्धित संस्था की अनापत्ति स्वरुत: निरस्त समझी जायेगी।

2- कुषमा उपरुक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सन्दीप,

॥ जगन्नाथ बाल ॥
तपुवत तधिब

संख्या- 3727 ॥1॥/तत्तार-6-2004, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजिए:-

- 1- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उत्तर क्षेत्रीय समिति ए-46 शान्तिनगर्, तिलकनगर्, जबपुर।
- 2- प्रबन्धक, तरदार बटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर।
- 3- निदेशक, उच्चशिक्षा, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- क्षेत्रीय उच्चशिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
- 5- गार्ड फाइला।

आज्ञा से,

॥ जगन्नाथ बाल ॥
तपुवत तधिब

प्रेषक,

जगन्नाथ माल,
संभुतरा सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अल्प विज्ञान विद्यालय,
देहरादून।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 2१ दिसम्बर, 2004

विषय:- एन०सी०टी०ई०के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा अनासक्ति प्रदान किया जाना।

प्रहोदक,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्रांक- लो०आ०बि०/सम्बन्धन/1115/

2004

दिनांक: 15-9-2004

के सम्बन्ध में कुछ यह कहने का निदेश हुआ है

कि राज्य सरकार ने तम्यक बिहारोपरान्त तरदार मटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर ----- को बी०एड० पाठ्यक्रम स्वयंसेवा योजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनासक्ति प्रदान कर दी है:-

- 1]- उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शीटों का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा किया जाएगा।
- 2]- उक्त पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर की स्वीकृति मिल जाने और उसके पश्चात् बिहार विद्यालय से सम्बन्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जाएगा।
- 3]- उक्त पाठ्यक्रम में सम्बन्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान शासनादेश संख्या-3075/तत्तार-2-2002-2१ 166१ 2002, दिनांक: 27 दिसम्बर, 2002 एवं शासनादेश संख्या-193/तत्तार-2-2003-2१ 166१ 2003 दिनांक: 13 जनवरी, 2003 तथा तमय-तमय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार तभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं पूर्ण कर लेगी।
- 4]- उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर बढ़ने वाला तमय व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा एवं सम्बन्धता के तमय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
- 5]- संस्थान बिहार विद्यालय/राज्य सरकार/बिहार विद्यालय अनुदान आयोग एवं



आवश्यक

दूरभाष - 05278-245957
फैक्स - 05278-248123

डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/2011/2789

दिनांक : 7 जुलाई, 2011
T2

सेवा में,

प्रबन्धक
सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय,
लारपुर, अम्बेडकरनगर

विषय : महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में कक्षा संचालन हेतु (स्थाई) सम्बद्धता की पूर्वानुमति।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : 1187/सत्तर-6-2010-2(272)/2010 दिनांक 25 जून, 2010 के क्रम में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा-37(2) के अधीन सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर को शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित, स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत, महाविद्यालय का सत्र 2008-09 का परीक्षाफल 100 प्रतिशत होने के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है -

1. संस्था शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशानिर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन करेगी।
2. महाविद्यालय/संस्था द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित अन्वर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगी। यह सम्बद्धता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुमोदन के अधीन है।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा महाविद्यालय को व्यवसायिक आधार पर संचालित नहीं किया जायेगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय


(एस०के० शुक्ल)

कुल सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त
प्रतिलिपि :

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-6), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या 1187/सत्तर-6-2010-2(272)/2010 दिनांक 25 जून, 2010 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. निजी सचिव, कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(एस०के० शुक्ल)
कुल सचिव।

प्रेषक,

आर०के०मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2008

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्ब०/335/2008, दिनांक 13.10.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनांतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
 2. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत हैं तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं हैं।
 3. शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2(166)/2005, दिनांक 21.10.2005 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
 5. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
 6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
 7. आगामी शैक्षिक सत्र में सम्बद्धता का प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पूर्व पाठ्यक्रम के नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, परीक्षा नकल विहीन होने, अध्यापकों/विभागाध्यक्ष का वेतन बैंक के माध्यम से किए जाने के तथ्यों की पुष्टि करने एवं इस संबंध में शासन को सम्यक् आख्या व संस्तुति सुसंगत प्रामाणिक अभिलेखों एवं साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या-4309(1)/सत्तर-6-2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।
4. प्रबन्धक, सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर।
5. निजी सचिव, ना० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ० प्र०)
Dr. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

पत्रांक/Ref. : लो०अ०वि०/सम्ब०/ 690 / 2009

दिनांक/ Date: 02. 02. 2009

सेवा में,

प्रबन्धक,

सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय,
लारपुर, अम्बेडकरनगर ।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6 के पत्र संख्या- 4309/सत्तर-6-2008-2
॥ 344 ॥ / 2004 टीसी, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय
अधिनियम 1973 ॥ यथासंगोहित उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय संगोथन अधिनियम 2007 ॥
की धारा-37 ॥ 2 ॥ के परन्तुक के अधीन आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर शिक्षा
संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित
योजना अन्तर्गत दिनांक 01.07.2008 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान
कर दी है । महाविद्यालय को शासन/ विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के निर्णयानुसार
निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की जाती है ।

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र "बी" में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर
लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।
2. विश्वविद्यालय छात्र आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं
अर्हता के अध्यापक/ विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत है तथा अन्
किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं है ।
3. शासनादेश संख्या- 5125/70-2-2005-2 ॥ 166 ॥ /2005 दिनांक 21.10.2005 में दिए
गए निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा
उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का
अनुपालन करेगी ।
5. संस्था शासनादेश संख्या- 285 ॥ सत्तर-2-2003- 16 ॥ 92 ॥ /2002 दिनांक 02 जुलाई,
2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों
का पालन करेगी ।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/ अधिनियम में वर्णित तथा शासन
एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता
को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973
के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्य-
वाही नियमानुसार की जाएगी ।



डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ० प्र०)
Dr. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

पत्रांक/Ref. : लो० 0310 वि०/सम्ब०/ 690 / 2009

दिनांक/ Date: 02.02.2009

सेवा में,

प्रबन्धक,
सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय,
लारपुर, अम्बेडकरनगर ।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6 के पत्र संख्या- 4353/सत्तर-6-2008-2
॥ 383 ॥/2004 दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय
अधिनियम 1973 यथासंशोधित उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007
की धारा-37 2 के अधीन आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के
अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित
विषयों में तथा कला संकाय के अन्तर्गत संस्कृत एवं उर्दू अतिरिक्त विषयों में स्वचित्त
पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है
महाविद्यालय को शासन/विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के निर्णयानुसार निम्नलिखित
शर्तों के अधीन प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की जाती है ।

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 192 1/2002 दिनांक 02 जुलाई,
2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासना-
देशों का पालन करेगी ।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा
शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा
उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उ० प्र० राज्य विश्वविद्या-
लय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता
वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

सहायक कुलसचिव ॥ सम्ब० ॥

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. परीक्षा नियन्त्रक
2. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ ।
3. सहायक कुलसचिव ॥ परीक्षा ॥ ।

सहायक कुलसचिव ॥ सम्ब० ॥

प्रेषक,

आर०के०मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2008

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्ब०/358/2008, दिनांक 16.10.2008 तथा पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्ब०/334/2008, दिनांक 13.10.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में तथा कला संकाय के अंतर्गत संस्कृत एवं उर्दू अतिरिक्त विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या-4353(1)/सत्तर-6-2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर।
4. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।

4. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and/or order made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act, 1993. The NCTE Hqrs may also cause inspections under section 13 of the NCTE Act, 1993.

By Order,

(Dr. B. Krishna Reddy)
Regional Director

The Manager,
Government of India,
Department of Publications, (Gazette Section),
Civil Lines, Delhi - 110054

Copy to:

1. The Secretary, Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi
2. The Education Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, U.P.
3. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Uttar Pradesh, Directorate, Allahabad (U.P.)
4. The Registrar, Dr. Ram Manohar Lohiya Avadh University, Faizabad, U.P. - **to ensure compliance of the Para 3 (a) of the recognition order.**
5. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing - II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, (Near ITO), New Delhi-110002
6. The Chairman / Secretary, Sardar Patel Smarak Shikshan Sansthan, Sikandrampur, Akbarpur, Ambedkar Nagar, U.P.
7. The Manager, **Sardar Patel Smarak Degree College, Village + Post - Larpur, Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh** - A copy of procedure for creation of fixed deposit in joint account towards Endowment Fund and Reserve Fund is enclosed.
8. The Under Secretary, Computer Section, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing - II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, (Near ITO), New Delhi-110002
9. Computer cell (NRC)



Regional Director

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

F. NRC/NCTE/F-3/UP-1826/2006/ 7762

A P N O 2 0 2 7

Regd./Speed Post

Date:

ORDER

Sardar Patel Smarak Degree College, Village + Post – Larpur, Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for B.Ed. Course in terms of section 14(1) of NCTE Act, 1993.

2. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition for B.Ed. course of One year duration w.e.f. the session 2006-2007 with an annual intake of 100 (One Hundred only) students to **Sardar Patel Smarak Degree College, Village + Post – Larpur, Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh** at the following address subject to the condition of appointment of qualified staff through duly constituted selection committee as per the norms of NCTE / State Govt./ Affiliating University given effect before the commencement of the course.

Sardar Patel Smarak Degree College,
(Khasra No. 89,225,228,73,227,229,229,686,02 total area 5.149 Hect.)
Village + Post – Larpur, Ambedkar Nagar,
Uttar Pradesh

3. The institution shall ensure the fulfillment of the following:-
- The institution shall maintain the teaching staff strength of 1+7 for the proposed B.Ed. Course.
 - The institution shall note that with regard to NET/SLET requirement, the relaxation is allowed only upto the year 2009-2010 as per NCTE Regulation dt. 21.07.2006.
 - The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
 - The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.
 - That the Reserve Fund for an amount of Rs. Three Lakhs be maintained in the form of FDR in favour of the management/institution.
 - Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc.
 - The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with a copy of the approval of the affiliating University / State Directorate of Education about the appointment of faculty members and the Statement of Annual Accounts duly audited by a Chartered Accountant.
 - The institution shall regularly update its website.

Contd. 2...


कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Phone No. : 0141-2623501 (O), Telefax No.: 0141-2620116 (RD)

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)
Jurisdiction: U.B., Uttaranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

E-mail: nrc@ncte-in.org

website: <http://www.ncte-in.org>





STD CODE: 05278
V.C. 246223(O) 246224 (R)
Fax : V.C. 246330 (O), 245209(R)
Registrar- 245957(O), 246042(R)
Fax : Registrar- 248123(O)
F.O.-246386(O)

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद(उ०प्र०)

DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

पत्रांक: लो०अ०वि०/ए०एफ०- /सम्ब० 2084 /2011

दिनांक: 24.02.2011

सेवा में,

प्रबन्धक,

सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय

लारपुर, अम्बेडकरनगर ।

महोदय,

कुलपति महोदय ने स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत लागू शासनादेश संख्या: 91/सत्तर-1-2003-15(14)/92टीसी, दिनांक: 24.02.2011 तथा संख्या: 1684 /सत्तर - 1-2005-15 (14)/92, दिनांक: 12 जुलाई, 2006 में प्राचार्य के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त डा० श्रीमती कविता श्रीवास्तव पुत्री श्री एम०एम० श्रीवास्तव को प्राचार्य पद पर चयन हेतु अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक: 09 मई, 2000 के प्रस्तर 04 के अनुसार कृत कार्यवाही करके प्राचार्य के साथ अनुबन्ध पत्र की एक प्रति फोटो सहित विश्वविद्यालय में अविलम्ब प्रस्तुत करें एवं अनुमोदित प्राचार्य के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अक्व विश्वविद्यालय,
फैजाबाद

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 25 जून, 2010

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्ब/ए०एफ-317(1)/515/2010, दिनांक 29.04.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2008-09 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2010 से शैक्षिक सत्र 2010-11 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. घोषित परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2010-11 के सम्बद्धता की पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2010 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जाएगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण, तबू उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-1187(1)/सत्तर-6-2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।
4. प्रबन्धक, सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर।
5. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
इन्द्रदेव पटेल
(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।